न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 136/2020 **दायर तारीख :–** 20-11-2020

1. मुकेश पुत्र सुवा जाति बलाई निवासी घेवता तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान।

— वादी

बनाम

1.	कल्याण	पुत्रान महादेव
2.	हनुमान	
3.	गोवर्धन	पुत्रान कालू
4.	जयराम	
5.	प्रहलाद	
6.	मोहनलाल	
7.	हेमराज	
8.	पतासी पुत्री कालू	
9.	चौथी पत्नि श्रवण	
10.	रमेश	पुत्रान श्रवण
11.	राजेन्द्र	
12.	विनोद	
13.	चावली	पुत्रियान श्रवण
14.	रामप्यारी	
15.	सरोज	
16.	फूलचन्द	पुत्रान सुवा
17.	महेश	
18.	रामपाल	
19.	सोनी पत्नि सुवा	
20.	रमेश	पुत्रान रामसहाय
21.	रामरतन	
22.	विक्रम	
23.	सुभाष	
24.	फूली देवी	पुत्रियान रामसहाय
25.	ममता देवी	
26.	मोठी देवी	
27.	लाली देवी	
28.	लिछमा देवी	
29.	ओमा देवी पत्नि प्रेमचन्द	
30.	निक्की	पुत्रियान प्रेमचन्द
31.	प्रिती	
32.	मीना	
33.	संगीता	
34.	नितिन पुत्र प्रेमचन्द	

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

35. सन्तोष पुत्र सूरज
36. मूली देवी पत्नि सूरज
37. ओमप्रकाश पुत्र सूरज
38. सोहन उर्फ सोनू पुत्र सूरज

समस्त जाति बलाई निवासी घेवता तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

39. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर कार्यालय तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत बंटवारा खातेदारी भूमि एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री घनश्याम गुर्जर, अधिवक्ता वादी
एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 38
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 28.01.2021

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम घेवता के खाता संख्या 95 के हाल खसरा नम्बर 14/0.77, 15/0.74, 16/0.37, 17/0.13, 18/0.11, 19/0.11, 20/0.72, 21/0.69, 22/0.20, 23/0.02, 24/0.05, 25/0.07, 27/0.11, 28/0.22, 4/0.12, 5/0.15, 6/0.12, 7/0.36 हैक्टेयर कुल किता 18 कुल रकबा 5.06 हैक्टेयर की खातेदारी वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। यह है कि खाता संख्या 95 के हाल खसरा नम्बर 14/0.77, 15/0.74, 16/0.37, 17/0.13, 18/0.11, 19/0.11, 20/0.72, 21/0.69, 22/0.20, 23/0.02, 24/0.05, 25/0.07, 27/0.11, 28/0.22, 4/0.12, 5/0.15, 6/0.12, 7/0.36 हैक्टेयर कुल किता 18 कुल रकबा 5.06 हैक्टेयर की खातेदारी वादी का हिस्सा 1/36 दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2075–2078 है। यह है कि वादी एवं प्रतिवादीगण ने राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार अपनी खातेदारी भूमि का बाहमी बंटवारा कर रखा हैं तथा बाहमी बंटवारे अनुसार वादी अपने हिस्से भूमि खसरा नंबर 27/0.11 हैक्टेयर सम्पूर्ण एवं खसरा नंबर 28/0.22 हैक्टेयर में रकबा 0.03 हैक्टेयर उत्तरी दिशा में बाहमी बंटवारे में प्राप्त कर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पर काबिज रहकर अपना उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के करता आ रहा है। इसी प्रकार प्रतिवादी भी अपने हिस्से भूमि पर काबिज काश्त है। यह है कि प्रतिवादीगण बाजौर ताकतवर एवं पैसों वाले व्यक्ति है जो वादी को उसके हिस्से की भूमि की काश्त नहीं करने देने की तथा बिना बंटवारा करवाये भूमि के विशिष्ट भाग को बेचान करने एवं दीगर व्यक्ति का जबरन कब्जा करवाने की धमकी आये दिन देते रहते है। यदि प्रतिवादीगण अपने धमकी को अमल में लाते हुए भूमि को काश्त नहीं करने देने एवं खुर्द–बुर्द करने में सफल हो गए तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से किया जाना संभव नहीं होगा। आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। जिससे शामिल खाते में काश्त करना संभव नहीं रहा है। अतः निवेदन है कि वाके ग्राम घेवता के खाता संख्या 95 के हाल खसरा नम्बर 14/0.77, 15/0.74, 16/0.37, 17/0.13, 18/0.11, 19/0.11, 20/0.72,

कार्यालय–उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

21/0.69, 22/0.20, 23/0.02, 24/0.05, 25/0.07, 27/0.11, 28/0.22, 4/0.12, 5/0.15, 6/0.12, 7/0.36 हैक्टेयर कुल किता 18 कुल रकबा 5.06 हैक्टेयर का विधिक बंटवारा कर वादी को जमाबंदी में दर्ज हिस्सेनुसार एवं वादी को बाहमी बंटवारा के अनुसार भूमि खसरा नंबर 27/0.11 सम्पूर्ण एवं खसरा नंबर 28/0.22 हैक्टेयर में रकबा 0.03 हैक्टेयर उत्तरी दिशा का पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी का पर्चा अलग से बनाया जाकर लगान अलग अलग निर्धारण किया जावे व राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में इसका अमल दरामद करवाया जावे तथा नक्श में तरमीम किया जावे। साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे वादी को बंटवारे में प्राप्त आराजी में किसी प्रकार की दखल या मजामहत पैदा नहीं करें।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 38 सम्यक् तामिल अनुपस्थित रहे, एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।

3. वादी ने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नक्शा ट्रेस ग्राम घेवता, नकल जमाबन्दी ग्राम घेवता खाता संख्या 95 संवत् 2075–2078 आदि पेश किए गये।

4. पत्रावली दिनांक 29.12.2020 को बहस प्राथमिक डिक्री सुनी गई। समस्त तथ्यों पर मनन किया गया। चूंकि दावा बंटवारा आराजीयात का है। तहसीलदार विराटनगर से कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाना न्यायोचित मानते हुए तहसीलदार विराटनगर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करने की तहरीर जारी की गई।

5. तहसीलदार विराटनगर का बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 27.01.2021 को प्राप्त हुआ है।

6. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

7. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम घेवता के खाता संख्या 95 के हाल खसरा नम्बर 14/0.77, 15/0.74, 16/0.37, 17/0.13, 18/0.11, 19/0.11, 20/0.72, 21/0.69, 22/0.20, 23/0.02, 24/0.05, 25/0.07, 27/0.11, 28/0.22, 4/0.12, 5/0.15, 6/0.12, 7/0.36 हैक्टेयर कुल किता 18 कुल रकबा 5.06 हैक्टेयर की खातेदारी वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसमें वादी का हिस्सा 1/36 दर्ज रिकॉर्ड है। यह है कि वादी एवं प्रतिवादी गण बाहमी बंटवारे के हिसाब से अच्छी में अच्छी व बुरी में बुरी के हिसाब से भूमि का विभाजन करके अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है। परन्तु आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। जिससे शामिल खाते में काश्त करना संभव नहीं रहा है। वकील वादी के निवेदन पर बहस बाद मनन कर प्रकरण प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

प्रावधान रखते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करने की तहरीर जारी की गई। तहसीलदार विराटनगर का बंटवारा प्रस्ताव को प्राप्त हुआ है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 अनुरूप दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बनाया गया है। उपस्थित अधिवक्ता एवं पक्षकार को बंटवारा प्रस्ताव पढकर समझाया गया जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष ने प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। अतः दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 27.01.2021 अनुसार डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।

8. वादी ने अपने वादपत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः वादी का वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

वादी का वादपत्र मुताबिक पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगी। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	मुकेश पुत्र सुवा जाति बलाई सा. देह खातेदार	7/1/0.0305, 27/0.1100 हैक्टेयर
2	कल्याण पुत्र महादेव हिस्सा 19/324, हनुमान पुत्र महादेव हिस्सा 19/324, गोरधन, जयराम, पतासी, प्रहलाद, सूरज, हेमराज, मोहन पिता कालू, बिरदी पत्नि कालू हिस्सा 37/108, चावली, रामप्यारी, सरोज पुत्रियान श्रवण, चौथी पत्नि श्रवण, रमेश, राजेन्द्र, विनोद पिता श्रवण हिस्सा 37/108, प्रभाती पत्नि रामसहाय, फूली देवी, ममता देवी, मोठी देवी, लाली देवी, लिछमा देवी पुत्रियान रामसहाय, रमेश, रामरतन, विक्रम, सुभाष पिता रामसहाय हिस्सा 19/324, ओमा देवी पत्नि प्रेमचन्द, संगीता, निकी, प्रिति, मीना पुत्रियान प्रेमचन्द, नितीन पुत्र प्रेमचन्द हिस्सा 1/36, फूलचन्द, महेश, रामपाल पिता सूवा, सोनी पत्नि सूवा हिस्सा 1/9 जाति बलाई सा. देह खातेदार	14/0.7700, 15/0.7400, 16/0.3700, 17/0.1300, 18/0.1100, 19/0.1100, 20/0.7200, 21/0.6900, 22/0.2000, 23/0.0200, 24/0.0500, 25/0.0700, 28/0.2200, 4/0.1200, 5/0.1500, 6/0.1200, 7/0.3295 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 28.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

कार्यालय–उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर) सत्यमेव जयते

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर

बइजलास :– राजवीर सिंह यादव, आर.ए.एस.

1. मुकेश पुत्र सुवा जाति बलाई निवासी घेवता तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान। **— वादी**

बनाम

1. कल्याण
2. हनुमान
} पुत्रान महादेव

3. गोवर्धन
4. जयराम
5. प्रहलाद
6. मोहनलाल
7. हेमराज
} पुत्रान कालू

8. पतासी पुत्री कालू
9. चौथी पत्नि श्रवण

10. रमेश
11. राजेन्द्र
12. विनोद
} पुत्रान श्रवण

13. चावली
14. रामप्यारी
15. सरोज
} पुत्रियान श्रवण

16. फूलचन्द
17. महेश
18. रामपाल
} पुत्रान सुवा

19. सोनी पत्नि सुवा

20. रमेश
21. रामरतन
22. विक्रम
23. सुभाष
} पुत्रान रामसहाय

24. फूली देवी
25. ममता देवी
26. मोठी देवी
27. लाली देवी
28. लिछमा देवी
} पुत्रियान रामसहाय

29. ओमा देवी पत्नि प्रेमचन्द

30. निक्की
31. प्रिती
32. मीना
33. संगीता
} पुत्रियान प्रेमचन्द

34. नितिन पुत्र प्रेमचन्द

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

35. सन्तोष पुत्र सूरज
36. मूली देवी पत्नि सूरज
37. ओमप्रकाश पुत्र सूरज
38. सोहन उर्फ सोनू पुत्र सूरज

समस्त जाति बलाई निवासी घेवता तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

39. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर कार्यालय तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— **प्रतिवादीगण**

9. **मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या** 136/2020 **दावा बाबत बंटवारा खातेदारी भूमि एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री घनश्याम गुर्जर, अधिवक्ता वादी** व हाजरी ....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **पैराकार सरकार** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया है कि वाके ग्राम घेवता के खाता संख्या 95 के हाल खसरा नम्बर 14/0.77, 15/0.74, 16/0.37, 17/0.13, 18/0.11, 19/0.11, 20/0.72, 21/0.69, 22/0.20, 23/0.02, 24/0.05, 25/0.07, 27/0.11, 28/0.22, 4/0.12, 5/0.15, 6/0.12, 7/0.36 हैक्टेयर कुल किता 18 कुल रकबा 5.06 हैक्टेयर का विधिक बंटवारा कर वादी को जमाबंदी में दर्ज हिस्सेनुसार एवं वादी को बाहमी बंटवारा के अनुसार भूमि खसरा नंबर 27/0.11 सम्पूर्ण एवं खसरा नंबर 28/0.22 हैक्टेयर में रकबा 0.03 हैक्टेयर उत्तरी दिशा का पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी का पर्चा अलग से बनाया जाकर लगान अलग अलग निर्धारण किया जावे व राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में इसका अमल दरामद करवाया जावे तथा नक्श में तरमीम किया जावे। साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे वादी को बंटवारे में प्राप्त आराजी में किसी प्रकार की दखल या मजामहत पैदा नहीं करें।

सुना गया अधिनियम के प्रावधानो एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 22 के अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किया गया। बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर उभय पक्षकार सहमत है।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादी का वादपत्र मुताबिक पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	मुकेश पुत्र सुवा जाति बलाई सा. देह खातेदार	7/1/0.0305, 27/0.1100 हैक्टेयर
2	कल्याण पुत्र महादेव हिस्सा 19/324, हनुमान पुत्र महादेव हिस्सा 19/324, गोरधन, जयराम, पतासी, प्रहलाद, सूरज, हेमराज, मोहन पिता कालू, बिरदी पत्नि कालू हिस्सा 37/108, चावली, रामप्यारी, सरोज पुत्रियान	14/0.7700, 15/0.7400, 16/0.3700, 17/0.1300, 18/0.1100, 19/0.1100,

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

	श्रवण, चौथी पत्नि श्रवण, रमेश, राजेन्द्र, विनोद पिता श्रवण हिस्सा 37/108, प्रभाती पत्नि रामसहाय, फूली देवी, ममता देवी, मोठी देवी, लाली देवी, लिछमा देवी पुत्रियान रामसहाय, रमेश, रामरतन, विक्रम, सुभाष पिता रामसहाय हिस्सा 19/324, ओमा देवी पत्नि प्रेमचन्द, संगीता, निकी, प्रिति, मीना पुत्रियान प्रेमचन्द, नितीन पुत्र प्रेमचन्द हिस्सा 1/36, फूलचन्द, महेश, रामपाल पिता सूवा, सोनी पत्नि सूवा हिस्सा 1/9 जाति बलाई सा. देह खातेदार	20/0.7200, 21/0.6900, 22/0.2000, 23/0.0200, 24/0.0500, 25/0.0700, 28/0.2200, 4/0.1200, 5/0.1500, 6/0.1200, 7/0.3295 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 28.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर